(30)

(1)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

R 937-I-17

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

प्रार्थी/निगरानीकर्ता .... ज्ञान सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी– ग्राम अक्टोहा तहसील लोडी, जिला छतरपुर, म.प्र.

बनाम

अनावेदक......... 1. राजादुलैया वेबा प्रभुदयाल, जोगी, निवासीपुरा, ग्राम अक्टोहा तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर, म.प्र.

2. शासन द्वारा मध्य प्रदेश

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता), विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2017 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील लवकुश नगर, छतरपुर, म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 16/अ–6–अ/2016–17/ में पारित आदेश से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी अवैधानिक रूप से जारी आदेश दिनांक 25.02.17 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता /आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, निगरानीकर्ता /आवेदक निवासी ग्राम अक्टोहा जिला छतरपुर (म.प्र.) का स्थाई निवासी है व निगरानीकर्ता/आवेदक खेती कर अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है।

2. यहकि, निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम अक्टोहा में सर्वे कमांक 913 रकवा 1.037 हैक्टेयर भूमि में समान रूप से दर्ज अनावेदक राजादुलिया बेवा प्रभुदयाल निवासी अक्टोहा का नाम शासकीय रिकार्ड में भूलवश उक्त सर्वे कमांक 913 में दर्ज हो जाने से आवेदक/निगरानीकर्ता के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के समक्ष वाद वास्ते सम्पूर्ण भूमि में से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-937-एक/17 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 16/अ-6-अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम अक्टोहा स्थित भूमि खसरा नं. 913 रकवा 1.307 हे. भूमि के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 लोढ़ी के वाद क्रमांक 121ए/97 में पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 24.07.2008 के अनुसार अनावेदक को स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया था जिसकी द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील क्रमांक 1294/2010 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2016 को निरस्त हो जाने से डिक्री दिनांक 24.07.2008 के पालन हेतु नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में एक आवेदन दिनांक 09.02.2017 को प्रस्तुत किया। जिसे नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 25.02.2017 द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु नियत किया गया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी आवेदन में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में अनावेदक राजादुलैया को संपूर्ण सुनवाई का मौका दिया गया है	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अर्थात अनावेदक भलीभांति जानकारी रखता है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत वाद केवल और केवल सर्वे क्रमांक 913 में समान रूप से स्वयं अनावेदक के नाम निरस्त हटाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था उक्त वाद में अनावेदक राजादुलैया द्वारा किसी भी प्रकार से प्रतिवाद प्रस्तुत कर सर्वे क्रमांक 913 में आवेदक का नाम हटाने की प्रार्थना नहीं की गई, अर्थात यदि दावा निरस्त हो भी गया तब भी दावा के पूर्व की स्थिति एवं दावा निरस्त हो जाने पर भी कोई नया आदेश या नई कोई स्थिति ऐसी निर्मित नहीं हुई है, जिससे शासकीय रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का कोई इन्द्राज दुरुस्ती किए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई हो। अनावेदक राजादुलैया द्वारा जानबूझकर आवेदक को परेशान करने की नियत से इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रचलनशील नहीं है, अर्थात न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष संचालित प्रकरण अवैध रूप से प्रचलन होने से निरस्तनीय है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद के पूर्व से ही अनावेदक का नाम सर्वे क्रमांक 913 पर 1/2 समान भाग पर दर्ज है उक्त नाम को व्यवहार न्यायाधीश द्वारा निरस्त करने संबंधी आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है अर्थात आवेदक एवं अनावेदक का नाम सर्वे क्रमांक 913 पर समान रूप से दर्ज है, जो कि पूर्व से स्थिति के अनुसार आज भी दर्ज है। अत: किसी भी प्रकार की इन्द्राज दुरूस्ती की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। इस कारण नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति न्यायोचित होने के उपरांत भी नायब तहसीलदार द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है। 4. अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित मानते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-937-एक/17 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 लोढ़ी के वाद क्रमांक 121ए/97 में पारित डिक्री दिनांक 24.07.2008 द्वारा आवेदक को खसरा नं. 913 का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी नहीं माना गया है और उसके जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील दिनांक 27.06.2016 को निरस्त की गई है। उक्त आधार पर आवेदक द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.02.2017 द्वारा निरस्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रकरण का निराकरण नायब तहसीलदार के समक्ष अभी गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	